न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 17/2017

1. श्रीचन्द पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।
– प्रार्थी

बनाम्

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर।
2. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर।
3. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 23.03.2017
प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर

उपस्थितिः– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता, प्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 12.10.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानी कृत निर्णय दिनांक 23.03.2017 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. ग्राम पंचायत परलीका द्वारा दिनांक 06.12.2004 को रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा हरीजन सामुदायिक केन्द्र के नाम से पट्टा संख्या 2/36 तादादी 5400 वर्गफीट जिसमें उत्तर से सड़क आम 25 फुट, दक्षिण में सड़क आम 18 फुट, पूर्व में आम सड़क पी.डब्ल्यू.डी. परलीका से राजपुरिया 30 फुट व पश्चिम में आम सड़क 18 फुट का नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत जारी किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है:–

(क) तथाकथित पट्टा नियम 157 के तहत दिनांक 06.12.2004 को किया गया था लेकिन पट्टा जारी करने के पश्चात आज दिनांक तक उक्त 5400 वर्गफीट की भूमि पर सामुदायिक केन्द्र निर्मित नही हुआ है इस कारण से तथाकथित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

(ख) तथाकथित पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व आधिपत्य में नही थी बल्कि पट्टे में वर्णित पर ग्रामवासीयों के मकानात बने हुए है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सड़क की भूमि को सम्मिलित करते हुए तथाकथित पट्टा जारी किया है उक्त पट्टा बने रहने से अपीलार्थी एवं अन्य ग्रामवासी अपने घरों में आवागमन भी नही कर पा रहें है और उनका

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आवागमन बाधित हो रहा है चूंकि ग्राम पंचायम परलीका के निवासियों की आय का मुख्य साधन कृषि है एवं कृषि कार्य करने के लिए उनके पास उंट गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि उपकरण है और अपने कृषि उपकरण अपने घरों से खेतों में लाने–लेजाने का प्रयोग करते है ऐसी स्थिति में उनकी सड़क की भूमि का पट्टा जारी होने से घोर असुविधा उत्पन्न हो रही है इसलिए पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत परलीका द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर हर आम व खास का सुनकर पट्टा जारी नहीं किया गया है बल्कि पट्टा जारी करने वाले पट स्थापित सरपंच द्वारा ग्रामवासीयों को चुनावी रंजिश की वजह से इनके मध्य वादविवाद उत्पन्न करने के आशय से पट्टा जारी किया गया है जो विधिवत पट्टा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(घ) तथाकथित पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को दिनांक 06.12.2004 को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि उक्त दिनांक को आचार संहिता लागू थी और आचार संहिता के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार पद स्थापित सरपंच को नहीं था लेकिन उसने आचार संहिता का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध तरीके से अवैध व अनुचित रूप से पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य ह। अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर का आदेश दिनांक 23.03.2017 विधि व तथ्यों के विरूद्ध कतई गलत तौर से किया गया आदेश होने के कारण निरस्त योग्य है।

(ड़) अप्रार्थी संख्या 1 का आदेश निर्णय दिनांक 23.03.2017 कतई गलत मनमाना व वेगा है। इसलिए निरस्त योग्य है आदेश दिनांक 23.03.2017 कतई अस्पष्ट आदेश है। तथ्यों की अनदेखी करके किया गया है जबकि पट्टा 1/36 इसी आधार पर खारीज हो चूका है।

(च) हरिजन सामुदाकि केन्द्र का पट्टा 5400 वर्गफीट का है आदेशों में पट्टा माप कही दर्ज नहीं किया है मौके पर भौतिक रूप से पट्टे का नाप सहीं नहीं है इसलिए हरिजन सामुदायिक केन्द्र का पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

(छ) अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत परलीका की मुख्य पक्की सड़क को सम्मिलित करते हुए नाजायज गलत पट्टा जारी किया गया है जो स्वतः ही निरस्त योग्य है।

(ज) अप्रार्थी सं0 3 ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सरपंच ने हरिजन सामुदायिक केन्द्र का पट्टा निःशुल्क जारी किया है जबकि ग्राम सचिव ग्राम पंचायत परलीका को निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार नही था इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच, सचिव ने राजनैतिक रंजिश की वजह से राजपुरिया परलिका सड़क की भूमि को सम्मिलित करते हुए हरिजन सामुदायिक केन्द्र का पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि संगत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

(ट) अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम सचिव ग्राम पंचायत परलीका निर्णय दिनांक 23.03.2017 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया न ही उनकी तरफ से कोई जवाब पेश हुआ उक्त निर्णय के दिन ग्राम सचिव अवकाश पर था अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं था ना ही उनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर रिकार्ड पर है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि संगत नहीं है निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

(ठ) प्रशासन एवं स्थापना पंचायत समिति नोहर का निर्णय कानून संगत नहीं है सिर्फ राजनैतिक दबाव में पार्टीवाजी की वजह से प्रार्थी को नुकसान पहुचाने के लिए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

(ड) न्यायालय ने निर्णय पारित से पूर्व पत्रावली का गहन अवलोकन नहीं किया है यदि पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि संगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है तथा मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है जो निर्णय की परिभाष में नहीं है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।श

(ढ) विवादित पट्टा स0 2/36 दिनांक 06.12.2004 को जारी पट्टा पूर्व सरपंच रोहिताश स्वयं ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर में दिनांक 05.08.2015 को शपथ–पत्र देकर मुकदमा न0 259/6 मदनलाल बनाम रणजीत आदि में उक्त पट्टा को जारी पट्टे आचार संहिता का उल्लघंन होने के कारण निरस्त होने का कथन किया है इसी कारण मातहत अदालत का निर्णय आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण निरस्त योग्य है।

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 23.03.2017 निरस्त कर विवादित बहाल पट्टे को निरस्त फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत परलीका ने दिनांक 06.12.2004 को पटटा संख्या 1/36 तादादी 5400 वर्गफुट अम्बेडकर सार्वजनिक चौक के नाम से एवं पटटा स0 2/36 तादादी 5400 वर्गफुट हरिजन सामुदायिक केन्द्र के नाम से निःशुल्क जारी किये गये जबकि पंचायतराज अधिनियम में निःशुल्क पटटा जारी करने का प्रावधान नहीं है। उक्त पटटे आचार संहिता के दौरान जारी किये गये थे जो की खारिज योग्य होने से इन दोनों पटटो की अपील स्थापना एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के समक्ष की गई थी। समिति द्वारा पटटा संख्या 1/36 से संबंधित अपील को स्वीकार कर पटटा खारिज कर दिया जबकि पटटा संख्या 2/36 अपील को निरस्त कर पटटा बहाल रख दिया। पटटा संख्या 2/36 निःशुल्क आवंटन होने एवं आचार संहिता में जारी होने के कारण काबिल खारिजी के है अतः निगरानी स्वीकार फरमावें। लिखित बहस के साथ अपील संख्या 01/2005 के निर्णय की प्रति एवं उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड के संबंध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायाधीश नोहर में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं बयान आदि की प्रति भी पेश की जो शामिल पत्रावली किए गयें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत परलीका द्वारा दिनांक 06.12.2004 को पटटा संख्या 1 अम्बेडकर सार्वजनिक चौक के नाम से 4912.5 वर्गफीट (545.83 वर्गगज) एवं पटटा संख्या 2/36 हरिजन सामुदायिक केन्द्र के नाम से 5400 वर्गफीट (600 वर्गगज) का निःशुल्क पटटा जारी किया गया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। पटटा संख्या 1, अपील संख्या 1/2005 व निर्णय दिनांक 22.11.2006 को प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा खारिज किया जा चुका है।

पटटा संख्या 2/36 के संबंध में अपील संख्या 11/2016 निर्णय दिनांक 23.03.2017 के द्वारा अपील खारिज कर पटटा बहाल रखा गया है। एक ही प्रकृति के एवं एक ही दिन जारी पटटो के संबंध में की गई अपीलों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरोधाभाषी निर्णय पारित किया गया है साथ ही यह भी स्पष्ट है की ग्राम पंचायत को 5400 वर्गफुट(600 वर्गगज) का पटटा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। चुनाव आचारसंहिता के दौरान भी पटटा नियमानुसार जारी नहीं किया जा सकता है। नियमों के परिपेक्ष्य में पटटा संख्या 2/36 विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जो की खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी निगरानी स्वीकार की जाती है एवं पटटा संख्या 2/36 जारी दिनांक 06.12.2004 विधि विरूद्ध जारी होने के कारण खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2017 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/2021

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)